

न्यायालय :- प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना,
जिला-सतना (म.प्र.)

कमांक- / 25

सतना, दिनांक-15.05.2025

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 संशोधन आदेश कमांक-1

पूर्व प्रसारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 में संशोधन करते हुये, एतद् द्वारा मैं, **प्रवीण कुमार सोंधिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना, जिला-सतना म0प्र0 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12(1), 12(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सतना-जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य जो आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 प्रभावशील है, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 की कण्डिका-09 में श्री प्रशांत मर्शकोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना, जिला-सतना का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर श्री राहुल सिंह मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना, जिला-सतना को प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 की कण्डिका-25 में संशोधन कर कण्डिका-25(क) व कण्डिका-25(ख) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

25(क)	श्री आनंद बागरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान संपूर्ण तहसील रामपुर बाघेलान	(A) -आरक्षी केन्द्र रामपुर बघेलान के सीमा क्षेत्र से उद्भूत समस्त प्रकार के नियमित आपराधिक मामले। (B) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। (C) - संपूर्ण तहसील रामपुर बाघेलान में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।
25(ख)	श्री प्रशांत मर्शकोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	(1) आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान	(A) -आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं परिवाद पत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र रामपुर बघेलान की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा. ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0

			1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
--	--	--	--

3. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 के परिशिष्ट-"ब" की कण्डिका-4 से आरक्षी केन्द्र महिला थाना को विलोपित कर कण्डिका-5 में कोठी के बाद "महिला थाना" जोड़ा जाता है।
4. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025 के परिशिष्ट-"स" की संशोधित कण्डिका-04 में की सब-कण्डिका-तीन में "श्रीमती रेनू यादव" के स्थान पर "सुश्री सोनाली वर्मा" का नाम तथा कण्डिका-8 में "सुश्री सोनाली वर्मा" के स्थान पर "श्री आनंद बागरी" का नाम एवं कण्डिका-23 में "सुश्री सोनाली वर्मा" के स्थान पर "श्री प्रशांत मर्शकोले" का नाम जोड़ा जाता है।

sd/-
(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 75(2...)/25
प्रतिलिपि:-

सतना, दिनांक-15.05.2025

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।

2- समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/अमरपाटन/चित्रकूट/उचेहरा /मैहर/नागौद/रामपुर बाघेलान/मझगवां।

3- पुलिस अधीक्षक, सतना।

✓ 4- सिस्टम ऑफीसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)